

होमगार्ड स्वयंसेवकों को बेहतर सुविधाएँ देने के लिये समिति का होगा गठन

चर्चा में क्यों?

6 जुलाई, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान गृह रक्षा के स्वयंसेवकों को उत्तम सुविधाएँ देने तथा उनकी समस्याओं के समाधान हेतु समिति गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

■ प्रमुख बिंदु

- प्रस्ताव के अनुसार यह समिति गृह रक्षा के नदिशालय स्तर पर गठित की जाएगी। गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव इसके अध्यक्ष होंगे।
- महानिदेशक एवं महासमादेशक (कमांडेंट जनरल), गृह रक्षा तथा महानिरीक्षक पुलिस गृह रक्षा इस समिति के सदस्य होंगे। गृह विभाग के शासन सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
- यह समिति गृह रक्षा स्वयंसेवकों का 12 माह नियोजन करे जाने, मानदेय पुलिस आरक्षी के समान दिये जाने, महँगाई भत्ता व ईएसआई/पीएफ सुविधा दिये जाने तथा गृह रक्षा स्वयंसेवकों को समय-समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निवारण संबंधी कार्य करेगी।
- समिति गठन के अलावा, राजस्थान गृह रक्षा स्वयंसेवकों की अनुबंध अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करिये जाने की स्वीकृति भी दी गई है।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने मई 2023 में जयपुर स्थित नवनर्मित होमगार्ड मुख्यालय के लोकार्पण समारोह के दौरान यह घोषणा की थी।